

कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक सी-45 / कृषि निवेश/बी-61 दिनांक लखनऊ जुलाई, 23, 2016

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक,
सहकारिता, उ०प्र०।
2. समस्त सचिव/महाप्रबंधक,
जिला सहकारी बैंक लि०।
3. समस्त जिला प्रबंधक
पी.सी.एफ. उ०प्र०।

विषय-इफको एवं कृषको द्वारा आपूर्तित उर्वरकों की दरों में दिनांक 25.07.2016 से परिवर्तन विषयक।

राज्य विपणन प्रबंधक, इफको लखनऊ ने अपने पत्रांक : 1751-52 दिनांक 22.07.2016 एवं वरिष्ठ राज्य प्रबंधक विपणन कृषको लखनऊ के पत्रांक 2521 दिनांक 22.07.2016 द्वारा उत्तर प्रदेश में यूरिया उर्वरक पर लगने वाले ए.सी.टी.एन.टैक्स में परिवर्तन होने के कारण यूरिया के बिक्री मूल्यों में कमी आयी है तथा फास्फेटिक उर्वरकों पर लगने वाले वैट में भी आंशिक परिवर्तन हुआ है तथा संशोधित दरें निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

अतः इफको एवं कृषको द्वारा आपूर्तित निम्न उर्वरकों की नई दरें निम्नानुसार संसूचित की जाती है जो दि० 25.07.2016 से प्रभावी होंगी-


(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	एनपीके ग्रेड 1	एनपीके ग्रेड 2	जिकेटेड एनपीके 2	एनपीएस 20:20:13	डीएपी	जिकेटेड एनपीके 1	यूरिया ज्ञादा	नीम कोटेड यूरिया
1	समितियों को आपूर्ति दर प्रति मै०टन	20160	20290	20710	16410	21630	20800	6920	6200
2	कृषकों को खुदरा बिक्री मूल्य प्रति मै०टन	20660	20770	21190	16890	22110	21080	6120	6400
3	कृषकों को खुदरा बिक्री मूल्य प्रति 50 किग्रा बैग	1033	1038.50	1059.50	844.50	1105.50	1054	308	320

उपरोक्त दरें दिनांक 25.07.2016 से समितियों/बिक्री केन्द्रों पर आपूर्ति होने वाले उर्वरकों पर लागू होंगी तथा तदनुसार समितियों द्वारा दिनांक 25.07.2016 से आपूर्तित उर्वरकों की बिक्री उपरोक्त निर्धारित दर पर कृषकों को किया जायेगा।

1. इफको/कृषको द्वारा समितियों को आपूर्ति एफओआर आधार पर की जायेगी। इसके लिए परिवहन मद में समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा।


2. एम0एफ0एम0एस0 के अर्न्तगत एकनॉलेज करने पर रू0 50.00 प्रति मै0टन की दर से इफको/कृभको द्वारा समितियों को भुगतान किया जायेगा।


(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ।

परिपत्रांक : सी-45 / कृषि निवेश/बी-81 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको, 8, गोखले मार्ग, लखनऊ।
2. वरिष्ठ राज्य प्रबन्धक विपणन कृभको लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।
4. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेब साईट में अपलोड करने एवं सम्बन्धित के ईमेल पर प्रेषण हेतु।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
8. समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र०।
9. प्रमुख सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।


अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (कृ०नि०)
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ।